

प्रेषक,

महा निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक नि०वि०/आर०टी०ई० / 5804/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 582/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11 दिनांक 03 मार्च 2018 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में निम्नवत समय-सारिणी निर्धारित की जा रही है:-

चरण	आवेदन करने की तिथियाँ (आनलाइन/आफलाइन) वर्ष 2020	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र (आनलाइन/आफलाइन) का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अन्तिम तिथि वर्ष 2020	लाटरी निकालने की तिथि	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
प्रथम	02 मार्च- 26 मार्च	27 मार्च - 30 मार्च	31 मार्च, 2020	05 अप्रैल, 2020
द्वितीय	04 अप्रैल-24 अप्रैल	25 अप्रैल-29 अप्रैल	30 अप्रैल, 2020	11 मई, 2020
तृतीय	04 मई - 10 जून	11 जून - 15 जून	16 जून, 2020	15 जुलाई, 2020

अतः आपको निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सारिणी का संज्ञान रखते हुये आवश्यक कार्यवाही अपने-अपने जनपदों में समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

O/C (विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
दिनांक 11 फरवरी 2020

पृ०सं०/आर०टी०ई०/स०शि०/5004/2019-20
प्रतिलिपि-

- 1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 5- समस्त मुख्य विकास जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), समस्त मण्डल उ०प्र०।

O/C (विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।